राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

कमांक–जीएनएम / प्रशिक्षण / 2010 / 23 दिनांक– 1.2.2010

जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चतुर्थ काउन्सलिंग

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञप्ति दिनांक 11.5.2009 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी / जांच के पश्चात पात्र अभ्यार्थियों को आरक्षण की श्रेणीवार जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2009–10 में तृतिय काउन्सलिंग के बाद निजी नर्सिंग स्कूल्स में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु चतुर्थ काउन्सलिंग के लिये निम्न श्रेणी / वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजो तथा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को देय निजी नर्सिंग सकूल मे प्रवेश के लिये फीस पेटे 10000/– रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख, **राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, भवन (बी–39 सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम)** जयपुर के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

श्रेणी / वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9 बजे
	निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु	
सामान्य महिला (अजा,अजजा अपिव,सामा)	बायोलाजी एवं अन्य विषय ग्रुप में 40.00 प्रतिशत प्राप्तांक तक के सामान्य संवर्ग के तथा अ.जा, अजजा, अपवि संवर्ग के बायलोजी एवं अन्य विषय ग्रुप में 35.00 तक प्राप्ताकों के अभ्यार्थी	15.2.10
सामान्य पुरूष (अजा,अजजा अपिव,सामा)	बॉयलोजी ग्रुप 40.00 प्रतिशत तक प्राप्तांक के अभ्यर्थी एंव अन्य विषय ग्रुप में 68.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	15.2.10
अन्य पिछडा वर्ग पुरूष अभ्यर्थी	बॉयलोजी ग्रुप में 35.00 प्रतिशत तक प्राप्तांक के अभ्यर्थी एंव अन्य विषय ग्रुप मे 62.00 प्रतिशत तक प्राप्ताको के अभ्यर्थी	16.2.10
अनुसूचित जाति पुरूष	बॉयलोजी ग्रुप में 35.00 प्रतिशत तक प्राप्तांक के अभ्यर्थी एंव अन्य विषय ग्रुप 61.00 प्रतिशत तक प्राप्ताको के अभ्यर्थी	16.2.10
अनुसुचित जनजाति पुरूष ((जनजातिय उपयोजना क्षेत्र सहित)	बॉयलोजी ग्रुप में 35.00 प्रतिशत तक प्राप्तांक के अभ्यर्थी एंव अन्य विषय ग्रुप 60.00 प्रतिशत तक प्राप्ताकों के अभ्यर्थी	16.2.2010

अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र छः माह से ज्यादा अवधि का नही होना चाहियें। **आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी** का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नही।

निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिये उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी भी जो **प्रथम / द्वितीय / तृतीय काउन्सलिंग मे अनुपस्थित** रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाईन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये विकल्प दिया हो चतुर्थ काउन्सलिंग में प्रवेश पा सकेगें।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.1.91 के नियम 8(5) के अनुसार जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। अतः प्रथम एवं द्वितीय / तृतीय काउन्सलिंग में प्रवेशित जिन अभ्यार्थियों ने अपने आवंटित निजी केन्द्रों पर ज्वाईन कर लिया है उन्हें चतुर्थ काउन्संलिग मे अनुमति देय नही होगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ काउन्सलिंग मे उपस्थित नही होवे।

रा0मा0शि0बोर्ड अजमेर द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशिका / दिशा निर्देशों में जिन बोर्ड / संस्थान को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे बोर्ड / संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं है, इसलिये काउन्सलिंग हेतु उपस्थित नहीं होवें।

(बी0के0दोसी)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।